भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4313

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी

4313. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सामान्य और आईसीयू बिस्तर बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और सामान्य तथा आईसीयू बिस्तरों की कुल संख्या में कितनी वृद्धि की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): दिल्ली के केंद्र सरकार के अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या अनुलग्नक I में दी गई है।

केंद्र सरकार के अस्पतालों में बढ़ती जरूरतों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, जिसमें बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करना, पदों का सृजन और डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरना शामिल है, एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें उन अल्प सेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस योजना के तहत 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 131 कार्यात्मक हो गए हैं।

(ड.): दिल्ली के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों के दौरान बिस्तरों, डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों की संख्या में हुई वृद्धि अनुलग्नक II में दी गई है।

****

अनुलग्नक I

दिल्ली के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में पदस्थ **डॉक्टरों** की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	डॉक्टरों की संख्या		
		स्वीकृत	भरे गए	रिक्त
1	सफ़दरजंग अस्पताल	631	507	124
2	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	412	294	118
3	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और संबद्ध अस्पताल	380	293	87
4	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी)	30	11	19

अनुलग्नक II

गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली के केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में बढाये गए बिस्तरों, **डॉक्टरों** और नर्सिंग कर्मियों की संख्या

-

क्र.सं.	अस्पतालों/संस्थानों के नाम	बिस्तरों की संख्या (सामान्य/आईसीयू)	डाक्टर	नर्सिंग कर्मी
1	सफ़दरजंग अस्पताल	122	78	113
2	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	85	99	37
3	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पताल	571	30	शून्य
4	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी)	आरएचटीसी मार्च, 2023 से प्रचालनरत हुआ था		

******